

कार्यालय प्राम पंचायत-

काटा

तिकास खण्ड साठा॒त

जनपद-

ग्रामपुर

प्राम

दिनांक

१०/६/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (इर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मालिक

अवगत कराना ३ कि दिनांक १०/६/२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली वैठक की गयी। वैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/जूहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता/सभायिका, कोटेदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त देलक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के प्रत्येक द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अनुसोध है कि कृष्णा यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कर्मसु का कट्ट वारं।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

(*Signature*)  
ग्राम पंचायत अधिकारी/भवदीय  
ग्राम पंचायत, गजीपुर  
पि० ढां-साहत, गजीपुर

M.P. Singh  
(Director)  
Kushma Foundation  
Varanasi(U.P.)

ग्राम प्रधान  
प्रा०प० कांदर न्याय प०-पिपनार  
वि० ख० सादात जि० गजीपुर

ग्राम प्रधान

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सम्मा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: २०-७-२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: ११-९६-२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: कायड़

ग्राम पंचायत का नाम: कायड़

ब्लॉक का नाम: सायड़

जिला का नाम: गढ़वाल

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

#### I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ३... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ६.. घन्टे निर्धारित गुणवत्ता \* वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २५. तक १५.०८ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १५ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: विधायिका उपसंघ लामिटेड

अध्यक्ष का नाम: अमित देव

लिंग: महिला

आयु: ४२

प्रधान  
ग्राम प्रधान-  
प्राप्ति १५% का जल  
प्राप्ति १५% का जल  
प्राप्ति १५% का जल

M.P. Singh  
(Signature)

Sushma  
(Signature)

## III. सामान्य विवरण

6.

204 किलोलीटर प्रति दिन जनसंख्या  
 जनसंख्या: 151.81  
 आपूर्ति ग्राहकों का अनुपात: 1.25  
 मानिकांगो की जनसंख्या: 1000  
 परम्परा की जनसंख्या: 1000  
 बच्चों की जनसंख्या: 625  
 यथा एवं उनकी संख्या:


वर्तमान जनसंख्या	<u>151.81</u>
प्रतिवार्षिक वृद्धि	<u>15.12</u>
भास्यारोपी की जनसंख्या	<u>1000</u>
नानिजांगो की जनसंख्या	<u>1000</u>
परम्परा की जनसंख्या	<u>125</u>
बच्चों की जनसंख्या	<u>625</u>
यथा एवं उनकी संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 162 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण  
 वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 52 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मधेशी संख्या (पश्चालन रिकॉर्ड): 430

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 180.25 18511. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): समतल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ

क्र.सं	सावनिक संस्था का नाम	क्या एकलप्रदी सो.	क्या वशिष्ठनव संचयन संरचना	साइता गढ़ी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	समतल	नहीं	नहीं	नहीं
2.	आंगनबाड़ी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	वशिष्ठनव	नहीं	नहीं	नहीं
4.	ग्राम संचायन समिति	नहीं	नहीं	नहीं
5.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

### पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ७० के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ३५.५२ के.एल.डी.

मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: ५

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ६२.५६ के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ७३ के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियां, रेल गाड़ियां आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: झैंजा, मलेरिया, डियरिया, मलेरिया  
पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	संस्कार	प्रारंभिक
ग्रहण	सूखा तुलना	सूखा रण तुलना
पारंपरिक	पारंपरिक विधि	पारंपरिक विधि
प्राणी वारीयता	प्राणी वारीयता	प्राणी वारीयता
वर्षायांत्रिक	वर्षायांत्रिक विधि	वर्षायांत्रिक विधि
आनोनियम	आनोनियम	आनोनियम
संस्कार	संस्कार	संस्कार
जलाशयक विधियां	जलाशयक विधियां	जलाशयक विधियां
जलाशय	जलाशय	जलाशय
प्राकृतिक	प्राकृतिक	प्राकृतिक
आसीनक (हाटम्पॉट में)	दृश्य रण तुलना	दृश्य रण तुलना

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अभिनियत का नाम	घरों की संख्या	जावाही
_____	_____	_____

## स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) नहीं

25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: गुम्भा नी मरम्मत  
गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 45 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 12

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 10

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 4

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी तक

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्राही/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: तलाय

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: तला, गोपन मिशन

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत तलाय निवारी हट्टी

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: 2.60 लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: X व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

## VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	संस्करण/परिवर्तन	प्राप्तवित योजनावधारी	प्रस्तावकर्ता
संवर्तन योजना	संकारण का विस्तार	ग्राम समुदाय	ग्राम समुदाय
संवर्तन योजना	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग
संवर्तन योजना	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय
संवर्तन योजना	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग
संवर्तन योजना	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय
संवर्तन योजना	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग	पर्याप्त आर.स्वच्छता विभाग
संवर्तन योजना	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय	जल शिविर भवान्याय



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्ऐरण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखन-सिंचाई का प्रावधान, एक्टीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.एफ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्ग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: माई-डी देवी

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: १२११२१५ ८१६७

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): १२११२१५ ८१६७

#### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. शंखी गंगा = ४३४१४३५९४३
2. झाराखण्डा = ७३५२०६६४५४
3. निर्धा = ७७३३४४०९२४
4. रेता देवी = ७५६५६७१५२७
5. सर्वा जा देवी = ४७३६०६४७।

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबरः

  
**M.P. Singh**  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P)

अधिकारी का नाम और फोन नंबर  
माई-डी देवी  
पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर